(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 3585—एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 28—2—11 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, श्योपुर प्रकरण कमांक 12/10—11/स्वमेव निगरानी .

1— इस्माईल पुत्र मोहम्मद शाह
2— सलीम पुत्र मोहम्मद शाह
3— भंवरदीन पुत्र ख्याजू शाह
4— हुसैनी पत्नि करीम शाह
5— अव्दुल अजज पुत्र चांद शाह
सभी निवासीयन ग्राम माखनाखेड़ली
परगना व जिला श्योपुर म.प्र.
6— इफितयार खां पुत्र अब्दुल खालिद
7— अमजद उल्ला पुत्र जकाउल्ला
8— मकसूद इकबाल पुत्र अब्दुल खालिद
9— अब्दुल खालिद पुत्र मोहम्मद युसुफ
निवासीगण ग्राम माखनाखेड़ली
परगना व जिला श्योपुर ——— आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा
कलेक्टर, श्योपुर म.प्र. ——— अनावेदक

श्री रामनरेश दोनेरिया, अधिवक्ता, आवेदकगण.
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा , अनावेदक अनावेदक.

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/4/2015 को पारित)

....

यह निगरानी अपर कलेक्टर, श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 12/10—11/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28—2—11 के विरूद्ध म. प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि तत्कालीन तहसीलदार, श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 58 / 04–05 / अ–6 आदेश दिनांक 8–5–06 द्वारा ग्राम माखनाखेड़ली के हितग्राहियों को स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन अधिनियम का उलंघन कर अवैधानिक रूप से नामांतरण किया गया है । अतः उक्त आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर आवश्यक कार्यवाही की जाये । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर ने तहसीलदार के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदकों को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया एवं आवश्यक कार्यवाही उपरांत आलोच्य आदो द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुए प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकों के नाम की दर्ज प्रविष्टि विलोपित कर भूमि म.प्र. शासन के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिए गए हैं । अप्र कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– अपीलांट्सं की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विवादित आदेश प्रकरण में विद्वमान सामग्री के प्रतिकूल है । आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है जो प्राकृति न्याय के सिद्धांत के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के आधार पर अपीलांटगण की तामील मानकर गंभीर त्रुटि की है, अपीलांट्स को व्यक्तिगत सूचना देने के बाद सुनवाई का अवसर देकर विवादित आदेश पारित करना चाहिए था ।

यह तर्क भी दिया गया कि आवेदक कमांक 1 लगायत 5 के नाम भूमि भूमिस्वामी के रूप में दर्ज होने के पूर्व अपीलांट कमांक 6 लगायत 9 के नाम दर्ज थी किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट कमांक 1 लगायत 5 का नाम के नामांतरण को निरस्त कर शासन के नाम राजस्व कागजात में अंकित करने का आदेश दिया है जो अवैधानिक है क्योंकि यदि अपीलांट का नाम निरस्त होता है तो पूर्व भूमिस्वामियों के नाम से पूर्व की स्थिति के अनुसार राजस्व कागजात में दर्ज करना का आदो देना चाहिए था किंतु ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर वैधानिक त्रुटि की है ।

4– रिस्पोंडेंट शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए अपील निरस्त किए जाने का विवेदन किया गया है ।

6– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का

अवलोकन किया गया । यह प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, के प्रतिवेदन दिनांक 15–11–2009 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वमेव निगरानी में लिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि संवत 2060 से लगायत 2069 में विवादित भूमि में आवेदकगण इफितयार खां पुत्र अब्दुल खारिल, अब्दुल समय पुत्र अब्दुल रजाक, मकसूद इकबाल पुत्र अब्दुल खारिल, अब्दुल खालिद पुत्र मोहम्मद युसुफ तथा अजमद पुत्र जका उल्लाह के नाम कैसे दर्ज हुई इसका कोई उल्लेख नहीं है और ना ही पटवारी द्वारा खसरे के कॉलम नंत्र 12 में आवेदकगण इस्माई, सलीम, भवरदीन हुसैनी तथा अब्दुल अजीज का नाम किस आदेश के द्वारा अंकित किया गया, स्पष्ट नहीं है । आवेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण तथा भूमिस्वामी होने संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपर कलेक्टर ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 8–5–06 को निरस्त कर आवेदकों के नाम दर्ज प्रविष्टि विलोपित कर भूमि मध्यप्रदेश शासन के नाम अंकित किए जाने के आदेश दिए हैं । अपर कलेक्टर का आदेश अभिलेख पर आधारित है । इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदकों की ओर से भूमिस्वामी होने के संबंध में कोई विधिक या सारवान प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर कलेक्टर का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशा0 सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर